आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
27/3/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 15/2013** **हेमनारायण सिंह बनाम अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन आयुक्त न्यायालय, सारण, छपरा के आदेश दिनांक 29.7.11 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। उक्त रिट याचिका अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 490 दिनांक 26.2.13 के विरूद्व वाद दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गई। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 8.12.2010 को हेमनारायण सिंह, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, अनुज्ञप्ति सं0 11/07 ग्राम–कर्णकुदरिया, पंचायत–कर्णकुदरिया, थाना+प्रखंड–मशरक की दुकान की जॉच अनुमंड स्तरीय गठित जॉच दल (प्रखंड विकास पदाधिकारी, मढ़ौरा एवं अंचलाधिकारी, मढ़ौरा) के द्वारा किया गया। जॉच के क्रम में दुकान के संचालन में पायी गई अनियमितताओं के लिए संबंधित विक्रेता से कारणपृच्छा किया गया एवं उनसे प्राप्त जवाब एवं कागजातों को असंतोषजनक पाते हुए अपने ज्ञापांक 188 दिनांक 13.1.11 के द्वारा उक्त विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। अनुज्ञापन पदाधिकारी के उक्त आदेश के विरोध में जिला दंडाधिकारी के न्यायालय में विक्रेता के द्वारा अपील दायर किया गया, जिसमें दिनांक 10.4.11 को जिला दंडाधिकारी, सारण के द्वारा इनके अपील आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। विक्रेता के द्वारा जिला दंडाधिकारी के उक्त पारित आदेश के विरोध में आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा के यहॉ रिविजन सं0 32/11 दायर किया गया, जिसमें आयुक्त सारण प्रमंडल, छपरा के द्वारा 29.7.11 को अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश दिनांक 13.1.11 एवं जिला दंडाधिकारी, सारण के आदेश दिनांक 10.4.11 को set aside करते हुए मामले को अनुमंडल पदाधिकारी–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढ़ौरा को पुनर्विचार हेतु तथा एक विधि सम्मत् मुखर आदेश पारित करने हेतु रिमांड किया गया। आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा के उक्त आदेश के आलोक में अनुमंडल	

पदाधिकारी–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढ़ौरा के द्वारा मामले की सुनवाई करते हुए दिनांक 26.2.13 को आदेश पारित किया गया कि उनके द्वारा सभी प्रासंगिक कागजातों का पुनः परिसीलन करने के उपरान्त यह पाया गया है कि उनके द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार के परिवर्त्तन की कोई आवश्यकता नहीं है एवं इस तरह अपने पूर्व के आदेश को उनके द्वारा यथावत् रखा गया।

उक्त विकेता के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 490 दिनांक 26.2.13 के विरोध में पुनः इस न्यायालय में अपील दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत आदेश दिनांक 26.2.13 अपने आप में अपूर्ण एवं दोषपूर्ण है। इसमें विकेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों का सही ढँग से परिसीलन नहीं किया गया है। विकेता की दुकान को बंद पाकर उसकी अनुज्ञप्ति को रद्द किया जाना माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा पारित आदेश के आलोक में विधि–सम्मत् नहीं है। इसी प्रकार विकेता के विरूद्व लगाए गए सभी आरोप गलत एवं बेबुनियाद है। अपीलकर्त्ता के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है, इसलिए अनुज्ञप्ति बहाल करने उनके द्वारा अनुरोध किया गया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विकेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुना गया तथा अभिलेख में संधारित कागजातों का परिसीलन किया गया। मैं पाता हूँ कि उक्त मामले की सुनवाई के उपरान्त आयुक्त सारण प्रमंडल, छपरा के द्वारा दिए गए निर्देश दिनांक 29.7.11 के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढ़ौरा के ज्ञापांक 490 दिनांक 26.2.13 के द्वारा मुखर आदेश पारित किया जा चुका है, जिसमें किसी भी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 640 /न्यायालय, दिनांक 24/2/2014

प्रतिलिपि – अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा को संबंधित LCR को मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। /NIC पदाधि. सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा, सारण